परिशिष्ट - 8

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक : एफ.11(37)आरएण्डपी/सान्याअवि/2012-13/39586   दिनांक 01 अप्रैल, 2013

आदेश

विभाग के पत्रांक एफ11/आरएण्डपी/अन्तर्जातीय विवाह/सकवि/61/81-82/54961-55111 दिनांक 27.11.2006 द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को प्रोत्साहन देने की डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह सहायता योजना के दिशा-निर्देश के बिन्दू संख्या 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

2. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अन्तर्जातीय विवाह से जुड़ने पर देय प्रोत्साहन राशि 50,000/-रूपयें (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) से बढाकर 5.00 लाख रूपये (अक्षरें पांच लाख रूपये मात्र) किये जाते है। जिसका भुगतान निम्न प्रकार से देय होगा :-

राशि लाखो में

क्र.स.	विवरण	प्रोत्साहन राशि का विवरण
(अ)	पति-पत्नि के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट। (समय पूर्व अदेय)	रू. 2.50
(ब)	घरेलू उपयोग की चीजों की खरीद के लिये संयुक्त बैंक खाते में नगद सहायता।	रू. 2.50
	कुल राशि	रू. 5.00

शेष नियम यथावत रहेगे। बढी हुई प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिनांक 01.04.2013 को या इसके पश्चात् अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को देय होगा।

उक्त संशोधित आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 161300539 दिनांक 29.03.2013 के अनुसरण में एतद् द्वारा जारी किये जाते है।

आयुक्त एंव शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(37)आरएण्डपी / सान्याअवि / 2012–13 / 39587–700 दिनांक : 01 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निवासी लेखा परीक्षक अधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सचिवालय राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास।
9. समस्त जिला कलेक्टर.......................
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद...............................
11. समस्त कोषाधिकारी...............................
12. अतिरिक्त निदेशक (सा.सु) मुख्यावास।
13. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....................
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने एवं ई–मेल बाबत्।
15. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

अर्न्तजातीय विवाह करने वाले युगलों को प्रोत्साहन देने की "डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अर्न्तजातीय विवाह सहायता योजना"

1 अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रुप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अंर्न्तजातीय विवाहों को बढावा देने हेतु "डॉ. सविता अम्बेडकर अर्न्तजातीय विवाह सहायता योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2 इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अर्न्तजातीय विवाह से जुड़ने पर संबंधित युगल को नीचे दर्शाये गये रूप में रु. 50000/-(अक्षरे पचास हजार रुपये मात्र) की सहायता का भुगतान किया जावेगा :-

क.स.	विवरण	प्रोत्साहन राशि का विवरण
(अ)	पति-पत्नि के संयुक्त नाम पर अल्प. बचत के प्रमाण पत्रों की भेंट	रु0 25000.00
(ब)	घरेलू उपयोग की चीजों की खरीद के लिये नगद सहायता	रु0 25000.00
	कुल राशि	रु0 50000.00

3. इस योजना की शर्ते निम्नानुसार होगी :-

1. ऐसे विवाह को पंजीकृत करवाना होगा और विवाह के पश्चात दो साल के अंदर सहायता के लिए आवेदन देना होगा।
2. अर्न्तजातीय विवाह से जुड़ने वाले युगलों में से एक व्यक्ति मूलत: राजस्थान राज्य का होना चाहिये ।
3 अर्न्तजातीय विवाह करने वाले अन्य राज्य के व्यक्ति के माता-पिता पॉच सालों से राजस्थान राज्य में बसे होने चाहिये।
4. ऐसे युगल में से जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का न हों और वह दूसरे राज्य का निवासी हो तो उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके प्रान्त या राज्य में उसे अस्पृश्य नहीं माना जाता और वह हिन्दू धर्म का पालन करते हैं। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में निवास करना होगा।
5. ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष तक की हो और उसके पति या पत्नि जीवित न हो, और उसे कोई संतान न हो उसे भी पुनर्विवाह करने पर इस योजना के तहत सहायता दी जायेगी।
6. इस योजना के तहत अर्न्तजातीय विवाह करने वाले युगल को सम्मानित करने के लिए जिला कलेक्टर समारोह आयोजित करेंगे और इसका व्यय इस विभाग के प्रावधानों में से विवेकपूर्ण ढंग से कर सकेंगे।

4. <u>योजना का क्रियान्वयन व बजट ऑवटन</u>

इस योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले पात्र युगल को अपना आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जॉच करेगें तथा उक्त प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति पीडी खाते से बजट शीर्षक 2225–01–196(05)(02)–12 के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से भुगतान करेंगे।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बजट शीर्षक 2225–01–196(05)(02)-12 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की जिला परिषद को उनके पीडी खाते में राशि का ऑवटन मांग अनुसार किया जायेगा।

इस योजना के लागू होने के बाद इससे पूर्व के जारी नियम एफ.11/आरएण्डपी/अर्न्तजातीय विवाह/सकवि/61/81–82 दिनांक 31.3.82 निरस्त समझे जायेगे। उक्त नियम आयोजना वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 209 दिनांक 20.6.06 के अनुसरण में एतद द्वारा जारी किये जाते है। यह नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एस.सी.देराश्री)
निदेशक

कमांक : एफ.11/आरएण्डपी/अन्तर्जा.विवाह/सकवि/61/81–82/ 54261-55111
जयपुर दिनांक 31-11-06

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. विशिष्ठ सहायक माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ....।
9. समस्त कोषाधिकारी।
10. समस्त अधिकारी, मुख्यावास।
11. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी।
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक